वर्ष:3 **चौदहवां अंक** **अक्तूबर–दिसम्बर**, 2015

अनुसूचित जाति वाणी

त्रैमासिक ई-पत्रिका

सत्यमेव जयते

भारत सरकार
राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय
नई दिल्ली

अनुसूचित जाति वाणी

राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की त्रैमासिक ई–पत्रिका

वर्ष:3 चौदहवां अंक अक्तूबर–दिसम्बर, 2015

- मुख्य संरक्षक:

अध्यक्ष,
राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग

- संरक्षक

सचिव
राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग

- सम्पादक:

श्री मांगे राम,
सहायक निदेशक(राजभाषा)
राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग

- समन्वयक:

श्री ए.पी. गौतम,
अनुसंधान अधिकारी
राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग

श्री ऑस्टिन जोस टी,
अनुभाग अधिकारी(प्रशासन)
राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग

अपने लेख एवं सुझाव भेजें: सम्पादक
राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वाणी, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग कमरा नं. 314 ए1, तृतीय तल, लोकनायक भवन, खान मार्किट, नई दिल्ली–03

विषय–सूची

	पृष्ठ
1. सम्पादकीय	3
2. अनुसूचित जातियों पर अत्याचार की घटनाएं – एक नज़र में	4–5
3. जातिगत जनगणना	6
4. हिंदी पखवाड़ा – आयोग में हिंदी पुरस्कार वितरण	7–8
5. जलवायु परिवर्तन – नरेन्द्र सिंह नेगी	9–11
6. राष्ट्रभाषा हिंदी – जगदीश कुमार	12–13
7. सफल मामले	14–16

सम्पादकीय

वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था ने ही कालांतर में जाति प्रथा का रूप लिया था । तब से अनुसूचित जातियां जिन्हें भारतीय समाज में अछूत के रूप में जाना जाता है । इनके साथ विभिन्न सामाजिक, धार्मिक, वैधानिक, राजनीतिक, आर्थिक, शैक्षिक भेदभाव होता रहा है । शताब्दियों से उन्हें राजनैतिक प्रतिनिधित्व, कानूनी अधिकारों, नागरिक सुविधाओं, शैक्षिक विशेषाधिकारों तथा आर्थिक सुअवसरों से दूर रखा गया । ब्रिटिश शासनकाल के दौरान भी इनके उत्थान के लिए कुछ प्रयास नहीं किए गए । यहां तक कि वे उन्हें बंधुआ मजदूरों के रूप में भी मुक्ति नहीं दिला सके । आज भी, अनुसूचित जातियां इस प्रकार की समस्याओं से ग्रस्त हैं ।

इन जातियों की समस्याओं के निराकरण के लिए आज भी और ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है । हालांकि, सरकारों द्वारा इन जातियों के लिए कई संवैधानिक प्रावधान किए गए जिनके तहत उनका सभी क्षेत्रों में विकास हो रहा है । इन प्रावधानों का मुख्य उद्देश्य हमारे समाज के परम्परागत सामाजिक ढांचे का परिवर्तन करना था जो सामाजिक-आर्थिक और राजनीतिक असमानता पर आधारित है । इन विशेष प्रावधानों की सामाजिक-आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका रही है । तथापि, अनुसूचित जातियों के विकास के लिए बजटीय प्रावधानों की मॉनीटरिंग और उनका आकलन पृथक रूप से किया जाना चाहिए ताकि अनुसूचित जाति जनसंख्या हेतु संवैधानिक बाध्यताओं को पूरा किया जा सके । सामाजिक न्याय के साथ-साथ आर्थिक विकास योजना प्रक्रिया एवं ग्रामीण विकास कार्यक्रम भी चलते रहने चाहिए ।

अनुसूचित जातियों के लिए विशेषकर आजीविका योजनाएं अधिक से अधिक लानी चाहिए जिससे कि गरीबी से जूझ रहे इन लोगों की आय कम से कम गुजारा लायक तो हो और इनके बच्चे बुनियादी शिक्षा हासिल कर सके । रोटी, कपड़ा और मकान मानव की बुनियादी आवश्यकताएं हैं जिनसे उन्हें वंचित नहीं रखा जा सकता है परन्तु देश में अधिकांश अनुसूचित जातियों के पास रहने के लिए उपयुक्त मकान तक नहीं हैं ।

अत: सरकारों को चाहिए कि इन जातियों का चहुँमुखी विकास हो और इस दृष्टि से किए जाने वाले प्रावधानों की मॉनीटरिंग और आकलन कठोरता से किया जाना चाहिए ।

अनुसूचित जातियों पर अत्याचार की घटनाएं – एक नज़र में

1. मिर्चपुर(हरियाणा) से करीब 50 दलित परिवार पलायन कर गए । इससे पहले भी कुछ परिवार पलायन कर गए थे ।

   अमर उजाला, नई दिल्ली 01-07-2015

2. उत्तर प्रदेश की सरकारी नौकरियों और शिक्षा से आरक्षण की वैधता को इलाहाबाद हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है । कोर्ट ने याचिका में उठाए गए मुद्दों को गंभीरता से लेते हुए राज्य सरकार से चार हफ्ते में जवाब मांगा है । याचिका में कहा गया है कि आरक्षण को समाप्त किया जाए ।

   दैनिक जागरण, नई दिल्ली 4-7-2015

3. गुड़गांव(हरियाणा) में घर के सामने से निकलने पर दलित महिलाओं और युवकों को पीटा । सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया । आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया गया ।

   दैनिक ट्रिब्यून, नई दिल्ली 14-7-2015

4. फरीदाबाद(हरियाणा) में दलित परिवार के दो बच्चों की हत्या कर दी गई । परिवार एक कमरे में सो रहा था कि रात को बदमाशों ने पैट्रोल छिड़क कर आग लगा दी जिससे दोनों बच्चों की मौत हो गई और पत्नी को गंभीर अवस्था में अस्पताल में भर्ती कराया गया ।

   दिल्ली एन.सी.आर. जागरण- 22-8-2015

5. जींद(हरियाणा) में एक दलित युवक का अपहरण कर खेतों में एक खंबे से बांध कर पीटा । पुलिस ने किसी आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया । युवक को अस्पताल में भर्ती करवाया गया ।

   दैनिक ट्रिब्यून, नई दिल्ली 22-10-2015

6. सोनीपत(हरियाणा) में एक दलित युवक का शव संदिग्ध हालत में मिला । परिजनों ने आरोप लगाया कि पुलिस ने चोरी के झूठे केस में फंसाकर उसकी हत्या कर दी । मामले में ए.एस.आई. और एक अन्य आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है ।

   अमर उजाला, नई दिल्ली 24-10-2015

7. यमुना नगर(हरियाणा) में 21 वर्षीय दलित युवक को कथित तौर पर जिंदा जलाकर मार डाला ।

हिन्दुस्तान, नई दिल्ली 24-10-2015

8. बेंगलूर(कर्नाटक) में जाति प्रथा पर लिखने वाले दलित पत्रकार को सुनसान जगह पर ले जाकर पीटा और उसे धमकी दी ।

नवभारत टाइम्स, नई दिल्ली 24-10-2015

9. गया(बिहार) में दबंगों ने घर में घुसकर महादलित परिवार के लोगों को लाठी-डंडे से पीटा और घर में रखा सामान उठा ले गए । एक महिला समेत 8 लोग घायल हैं जिनका इलाज अस्पताल में चल रहा है । भयभीत महादलित परिवार की महिलाओं ने अपने बच्चों के साथ दूसरे गांव में शरण ले रखी है ।

दैनिक जागरण, नई दिल्ली 21-12-2015

é é é

2014 **में दलितों पर हुए अपराध के मामले**

अपराध	10	204	2012	2013	2014
हत्या	570	673	651	676	744
बलात्कार	1349	1557	1576	2073	2252
मानव अधिकार मामले	143	67	62	62	101
अजा/अजजा अधिनियम	10513	11342	12576	13975	-
कुल अपराध	33712	33719	33655	39408	47064

-गोत: इन्टरनेट

é é ..

जातिगत जनगणना

केन्द्र सरकार ने जुलाई, 2015 को स्वतंत्र भारत की सर्वप्रथम सामाजिक-आर्थिक जाति जनगणना, 2011 के ग्रामीण भारत से संबंधित आंकड़े सार्वजनिक किए । देश में कुल 17.91 करोड़ ग्रामीण परिवार हैं जिनमें से 8.69 करोड़(48.5%) परिवार वंचित की श्रेणी में आते हैं ।

वंचितों में 2.37 करोड़(13.3%) परिवार एक कमरे के मकान में रहते हैं । 5.37 करोड़(30.0%) परिवार आय के लिए शारीरिक श्रम पर निर्भर हैं । 4.21 करोड़(23.5%) परिवारों में 25 वर्ष से अधिक आयु का कोई भी शिक्षित नहीं है । 0.69 करोड़(3.9%) परिवार 16 से 59 वर्ष के किसी पुरुष के बिना जीवन-यापन करने वाले महिला प्रधान परिवार हैं । 0.65 करोड़ (3.9%) परिवारों में 18 से 59 वर्ष की आयु का कोई व्यक्ति नहीं है । 3.86 करोड़(21.5%) परिवार दलित और आदिवासी हैं । 8.69 करोड़ परिवार वंचित माने गए हैं ।

ग्रामीण भारत में 51.4% दिहाड़ी मजदूर ï 4.6% ग्रामीण परिवार आयकर भरते हैं ï 27.9% कोई फोन नहीं ï 68.4% केवल मोबाइल ï 2.7% लैंडलाइन और मोबाइल दोनों हैं ï 11% रेफरिजरेटर ï 20.7% के पास वाहन हैं ï 2.5% के पास चौपहिया वाहन ï 17.4% के पास दोपहिया वाहन ï 75% की मासिक आय ï 5,000/- रुपए से कम ï 8.29 की मासिक आय 10,000/- रुपए से अधिक ï 17.18% की मासिक आय 5,000 से 10,000 के बीच ï 3.6% के पास किसान क्रेडिट कार्ड ।

---

29 अगस्त, 1947 को संविधान की लेखन समिति गठित की गई जिसके अध्यक्ष डॉ. बी.आर. अम्बेडकर थे । सदस्य, एन. गोपालस्वामी अयंगर, कन्हैया लाल मानेकलाल अय्यर, सहित कुल छह सदस्य थे ।

हिंदी पखवाड़ा

आयोग में हिन्दी पुरस्कार वितरण

राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग में दिनांक 01-09-2015 से 15-09-2015 तक हिंदी पखवाड़ा के दौरान आयोजित की गई विभिन्न हिंदी प्रतियोगिताओं के विजेताओं को आयोग में सचिव महोदय ने पुरस्कार प्रदान किए।

हिंदी निबंध प्रतियोगिता

हिंदी भाषी वर्ग	अधिकारी/कर्मचारी का नाम एवं पदनाम	परिणाम	राशि
	श्री नरेन्द्र सिंह नेगी, उच्च श्रेणी लिपिक	प्रथम	1,500/- रूपए
	श्री संजय कुमार, स.सू.पुस्तकालय अध्यक्ष	द्वितीय	1,200/- रूपए
	श्री वाई.के. बंसल, अनुसंधान अधिकारी	तृतीय	1,000/- रूपए
(एम.टी.एस./ड्राइवर/ हिंदीतर भा-ी वर्ग)	श्री सुभाष चन्द्र शर्मा, एम.टी.एस.	प्रथम	1,500/- रूपए
	श्री जगदीश कमार, एम.टी.एस	द्वितीय	1,200/- रूपए
	श्री श्याम लाल, एम.टी.एस	तृतीय	1,000/- रूपए

मूल हिंदी टिप्पण/आलेखन व्यावहारिक प्रतियोगिता

हिंदी भाषी वर्ग	अधिकारी/कर्मचारी का नाम एवं पदनाम	परिणाम	राशि
	श्री नरेन्द्र सिंह नेगी, उच्च श्रेणी लिपिक	प्रथम	1,500/- रूपए
	श्री वाई.के. बंसल, अनुसंधान अधिकारी	द्वितीय	1,200/- रूपए
	श्री प्रदीप सिंह मेहता, अनुसंधान अधिकारी	तृतीय	1,000/- रूपए
(एम.टी.एस./ड्राइवर/ हिंदीतर भा-ी वर्ग)	श्री सुभाष चन्द्र शर्मा, एम.टी.एस.	प्रथम	1,500/- रूपए
	श्री श्याम लाल, एम.टी.एस.	द्वितीय	1,200/- रूपए
	श्री जगदीश कुमार, एम.टी.एस.	तृतीय	1,000/- रूपए

राजभाषा ज्ञान/ सामान्य हिंदी प्रतियोगिता

हिंदी भाषी वर्ग	अधिकारी/कर्मचारी का नाम एवं पदनाम	परिणाम	राशि
	श्रीमती निधी कुमारी गुप्ता, आशुलिपिक	प्रथम	1,500/- रूपए
	श्री प्रदीप सिंह मेहता, अनुसंधान अधिकारी	द्वितीय	1,200/- रूपए
	श्री वाई.के. बंसल, अनुसंधान अधिकारी	तृतीय	1,000/- रूपए

(एम.टी.एस./ड्राइवर/ हिंदीतर भा-ी वर्ग)	श्री सुभाष चन्द्र शर्मा, एम.टी.एस.	प्रथम	1,500/- रूपए
	श्री श्याम लाल, एम.टी.एस.	द्वितीय	1,200/- रूपए
	श्री अमर बाबू, एम.टी.एस.	तृतीय	1,000/- रूपए

हिंदी श्रुतलेख प्रतियोगिता

हिंदी भाषी वर्ग	**अधिकारी/कर्मचारी का नाम एवं पदनाम**	**परिणाम**	**राशि**
	श्री जयनारायण मीणा, आशुलिपिक	प्रथम	1,500/- रूपए
	श्री वाई.के. बंसल, अनुसंधान अधिकारी	द्वितीय	1,200/- रूपए
	श्रीमती निधी कुमारी गुप्ता, आशुलिपिक	तृतीय	1,000/- रूपए
(एम.टी.एस./ड्राइवर/ हिंदीतर भा-ी वर्ग)	श्री सुभाष चन्द्र शर्मा, एम.टी.एस.	प्रथम	1,500/- रूपए
	श्री श्याम लाल, एम.टी.एस.	द्वितीय	1,200/- रूपए
	श्री महेन्द्र कुमार, स्टाफ कार चालक	तृतीय	1,000/- रूपए

हिंदी कविता पाठ प्रतियोगिता

हिंदी भाषी वर्ग	**अधिकारी/कर्मचारी का नाम एवं पदनाम**	**परिणाम**	**राशि**
	श्रीमती शीला गुप्ता, निजी सहायक	प्रथम	1,500/- रूपए
	श्री भरत राज, सहायक	द्वितीय	1,200/- रूपए
	श्री प्रदीप सिंह मेहता, अनुसंधान अधिकारी	तृतीय	1,000/- रूपए
(एम.टी.एस./ड्राइवर/ हिंदीतर भा-ी वर्ग)	श्री सुभाष चन्द्र शर्मा, एम.टी.एस.	प्रथम	1,500/- रूपए
	श्री महेन्द्र कुमार, स्टाफ कार चालक	द्वितीय	1,200/- रूपए
	श्री सत्येन्द्र नारायण सिंह, एम.टी.एस.	तृतीय	1,000/- रूपए

हिंदी वाद विवाद प्रतियोगिता

हिंदी भाषी वर्ग	**अधिकारी/कर्मचारी का नाम एवं पदनाम**	**परिणाम**	**राशि**
	श्री भरत राज, सहायक	प्रथम	1,500/- रूपए
	श्री प्रदीप सिंह मेहता, अनुसंधान अधिकारी	द्वितीय	1,200/- रूपए
	श्री वाई.के. बंसल, अनुसंधान अधिकारी	तृतीय	1,000/- रूपए
(एम.टी.एस./ड्राइवर/ हिंदीतर भा-ी वर्ग)	श्री एल.आर. शर्मा, एम.टी.एस.	प्रथम	1,500/- रूपए
	श्री जगदीश कुमार, एम.टी.एस.	द्वितीय	1,200/- रूपए
	श्री अमर बाबू, एम.टी.एस.	तृतीय	1,000/- रूपए

****

विशेष लेख

जलवायु परिवर्तन

नरेन्द्र सिंह नेगी

जो पानी की बरबादी करते हैं, उनसे मैं यही पूछना चाहता हूं कि क्या उन्होंने बिना पानी के जीने की कोई कला सीख ली है, तो हमें भी बताएं, ताकि भावी पीढ़ी बिना पानी के जीना सीख सके । नहीं तो तालाब के स्थान पर मॉल बनाना क्या उचित है? आज हो यही रहा है । पानी को बरबाद करने वालों यह समझ लो कि यही पानी तुम्हें बरबाद करके रहेगा । एक बँद पानी यानी एक बूंद खून, यही समझ लो । पानी आपने बरबाद किया, खून आपके परिवार वालों का बहेगा । क्या अपनी आंखों का इतना सक्षम बना लोगे कि अपने ही परिवार के किस प्रिय सदस्य का खून बहता देख पाओगे । अगर नहीं, तो आज से ही नहीं बल्कि अभी से पानी की एक-एक बूंद को सहेजना शुरु कर दो । अगर ऐसा नहीं किया, तो मारे जाओगे ।

वैश्विक तापमान यानी ग्लोबल वार्मिंग आज विश्व की सबसे बड़ी समस्या बन चुकी है । इससे न केवल मनुष्य बल्कि धरती पर रहने वाला प्रत्येक प्राणी ग्रस्त (परेशान, इन प्राब्लम) है । ग्लोबल वार्मिंग से निपटने के लिए दुनिया भर में प्रास किए जा रहे हैं, लेकिन समस्या कम होने होने के बजाय साल-दर-साल बढ़ती ही जा रही है । चूंकि, यह एक शुरुआत भर है, इसलिए अगर हम अभी से नहीं संभले तो भविष्य और भी भयावह (हारिबल, डार्कनेस) हो सकता है । आगे बढ़ने से पहले हम यह जान लें कि आखिर ग्लोबल वार्मिंग है क्या ।

क्या है जलवायु परिवर्तन?

जैसा कि नाम से ही साफ है, ग्लोबल वार्मिंग धरती के वातावरण के तापमान में लगातार हो रही बढ़ोतरी है । हमारी धरती प्राकृतिक तौर पर सूर्य की किरणों से ऊष्मा(हीट, गर्मी) प्राप्त करती है । ये किरणें वायुमंडल (एटमास्पियर) से गुजरती हुई धरती की सतह(जमीन, बेस) से टकराती है और फिर वहीं से परावर्तित(रिफलेक्शन) होकर पुनः लौट जाती है । धरती का वायुमंडल कई गैसों से मिलकर बना है जिनमें कुछ ग्रीनहाऊस गैसें भी शामिल हैं । इनमें से अधिकांश धरती के ऊपर एक प्रकार से एक

प्राकृतिक आवरण (लेयर कवर) बना लेती है । यह आवरण लौटती किरणों के एक हिस्से को रोक लेता है और इस प्रकार धरती के वातावरण को गर्म बनाए रखता है । गौरतलब (टूर इस रिकाल्ड, मालूम होना) है कि मनुष्यों, प्राणियों और पौधों के जीवित रहने के लिए कम से कम 16 डिग्री सेल्सियस तापमान आवश्यक होता है । वैज्ञानिकों का मानना है कि ग्रीनहाऊस गैसों में बढ़ोतरी होने पर यह आचरण और भी सघन (अधिक मोटा होना) या मोटा होता जाता है । ऐसे में यह आवरण सूर्य की अधिक किरणों को रोकने लगता है और फिर यही से शुरु हो जाते हैं ग्लोबल वार्मिंग(जलवायु परिवर्तन) के दुष्प्रभाव ।

क्या है जलवायु परिवर्तन की वजह ?

ग्लोबल वार्मिंग के लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार तो मनुष्य और उसकी गतिविधियों (एक्टिविटीज) ही हैं । अपने आपको इस धरती का सबसे बुद्धिमान प्राणी समझने वाला मनुष्य अनजाने में या जानबूझकर अपने ही रहवास (हैबिटेट, रहने का स्थान) को खत्म करने पर तुला हुआ है । मनुष्य जनित इन गतिविधियों से कार्बल डाइआक्साइड मिकेन, नाइट्रोजन, ऑक्साइड इत्यादि ग्रीन हाऊस गैसों की मात्रा में बढ़ोतरी हो रही है जिससे इन गैसों का आवरक्षण सघन होता जा रहा है । यही आवरण सूर्य की परावर्तित किरणों को रोक रहा है जिससे धरती के तापमान में वृद्धि हो रही है । वाहनों, हवाई जहाजों, बिजली बनाने वाले संयंत्रों(प्लांट्स) उद्योगों इत्यादि से अंधाधुंध होने वाले गैसीय उत्सर्जन की वजह से कार्बन डाइआक्साईड में बढ़ोतरी हो रही है । जंगलों का बड़ी संख्या में हो रहा विनाश इसकी दूसरी वजह है । जंगल कार्बन डाइआक्साइड की मात्रा को प्राकृतिक रूप से नियंत्रित करते हैं, लेकिन इनकी बेतहाशा कटाई से यह प्राकृतिक नियंत्रक भी हमारे हाथ से छूटता जा रहा है ।

इसकी एक अन्य वजह सीएफसी है जो रेफ्रिजरेटर्स अग्निशामक यंत्रों इत्यादि में इस्तेमाल की जाती है । यह धरती के ऊपर बने एक प्राकृतिक आवरण परत को नष्ट करने का काम करती है । ओजोन परत सूर्य से निकलने वाली घातक पराबैंगनी(अल्ट्रावायलेट) किरणों को धरती पर आने से रोकती है । वैज्ञानिको का कहना है कि इस ओजोन परत में एक बड़ा हिंदू (होल) हो चुका है जिससे पराबैंगनी किरणे (अल्टावायलेट रेंज) सीधे धरती पर पहुंच रही है और इस तरह से उसे लगातार गर्म बना रही है । यह बढ़ते तापमान का ही नतीजा है कि धुरवों (पोलर्स) पर सदियों से जमी बर्फ भी पिघलने लगी है ।

ग्लोबल वार्मिंग (जलवायु परिवर्तन) के प्रभाव

जलवायु परिवर्तन से धरती का तापमान बढ़ेगा जिससे ग्लैशियरों पर जमी बर्फ पिघलने लगेगी । पिछले 10 सालों से धरती के औसत तापमान में 0.3 से 0.6 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी हुई है और आशंका यही जताई जा रही है कि आने वाले समय में ग्लोबल वार्मिंग में बढ़ोतरी होगी ।

मानव स्वास्थ्य पर असर

जलवायु परिवर्तन का सबसे ज्यादा असर मनुष्य पर ही पड़ेगा और कई लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ेगा । गर्मी बढ़ने से मलेरिया, डेंगू और यलो फीवर जैसे संक्रामक रोग बढ़ेंगे । वह समय भी जल्दी ही आ सकती है जब हममें अधिकांश लोग इससे बच नहीं पायेंगे ।

जलवायु परिवर्तन की प्रवृत्ति के कुछ उपाय

इसके लिए सबसे पहले राजनैतिक इच्छा शक्ति की जरुरत है । इसके अलावा, अवांछित गैसों के उत्सर्जन को कम करना, विकसित देशों द्वारा कार्बन उत्सर्जन स्तर में कटौती किया जाना, वनों की हिफाजत करना, दूषित जीवाश्म निर्मित ऊर्जा के स्थान पर नवीकरण योग्य ऊर्जा एवं ऊर्जा दक्षता को अपनाना आदि भी कुछ महत्वपूर्ण उपाय हैं । इसे ऊर्जा, परिवहन, उद्योग आदि क्षेत्रों में निवारक उपाय अपनाकर स्थिति को बदतर होने से रोका जा सकता है । दुष्प्रभावों को कम करने के लिए इस पर वित्त प्रबंधन एवं तकनीक को शामिल करते हुए विश्व स्तर पर चर्चा होनी चाहिए ।

0-0-0-0-0-0

> धरती सभी की आवश्यकताओं के लिए पर्याप्त साधन है, उनके लालच के लिए नहीं ।
>
> - महात्मा गांधी

विशेष लेख

राष्ट्रभाषा हिंदी

जगदीश कुमार

हमारे देश में हिंदी भाषा का बड़ा ही महत्व है । क्योंकि हिंदी भाषा हमारे देश के कई राज्यों में बोली जाने वाली एकमात्र सरल भाषा है ।

जैसेः- राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखण्ड, हिमाचल प्रदेश तथा दिल्ली ।

इन सभी राज्यों में हिंदी भाषा बोली जाती है । जिसके कारण हमें इस भाषा में एक प्रकार का एकसूत्र में बांध कर रखने वाली सबसे अच्छी और प्रसिद्ध भाषा है । हमारे देश का मुख्य भाग अधिकतर सरकारी कार्यालयों, दफ्तरों, मंत्रालयों में इस हिंदी भाषा का अधिक प्रयोग किया जाता है । और इसको एकमात्र बढ़ावा देने के लिये सुचारु रूप से प्रयोगशालायें पखवाड़े के रूप में इस हिंदी भाषा को बड़े धूमधाम से मनाते हैं । जैसेः-

1. एकता का माध्यम

इस भाषा में हमें एक ऐसी सरलता और मधुरता लगती है कि हिंदी भाषा को बोलने में किसी भी प्रकार की कोई रुकावट नहीं लगती । इस प्रकार से हमारे देश के कई राज्यों में जो हिंदी बोले जाने वाली भाषा है । इसमें हमें एक-दूसरे को प्यार-प्रेम की तरफ खींचने वाली एक बहुत ही सरल भाषा है । इससे हम एक-दूसरे से जुड़ जाते हैं तथा आपस में भाईचारा प्रेम भाव बढ़ता है और एकता का माध्यम बन जाता है ।

2. राजभाषा

हिंदी भाषा हमारे देश के सभी सरकारी दफ्तरों में, विभागों में, मंत्रालयों में इस भाषा का प्रयोग फाइलों के माध्यम से कार्रवाई की जाती है तथा हिंदी भाषा को आगे बढ़ावा देने के लिए हिंदी पखवाड़ा के रूप में सरकारी कर्मचारियों, अधिकारियों को प्रेरित किया जाता है । इस प्रकार से हिंदी भाषा हमारे देश के अनेक राज्यों में बोली जाने वाली भाषा एकमात्र राजभाषा भी बन गई ।

3. सांस्कृतिक धरोहर

हिंदी भाषा एक ऐसी भाषा है इसमें एक ऐसी मिठास है कि इस भाषा में एक ऐसी सरल प्रणाली है कि इसमें हमें संगीत में बहुत अच्छी प्रकार से पिरोया जा सकता है । हमारे देश में बड़े-बड़े हिंदी के कार्यक्रम टेलीविजन के माध्यम से हमें संगीत से जुड़ी कविता, चुटकुले और गजल, फिल्मी गानों में हिंदी के ऐसे मीठे शब्द सुनने को मिलते हैं कि हमें संगीत के साथ-साथ हिंदी में गाने में हमें और कई प्रकार से हमारे जीवन में बहुत प्रभाव पड़ता है । और हमें एकमात्र हमें ज्ञात हो जाता है कि हिंदी भाषा हमारी सबसे अच्छी और मधुर प्यारी भाषा है । इस प्रकार हम अपने परिवारों में अपने बच्चों को भी मार्गदर्शन दिखाते हैं । और वैसे तो टेलीविजन के माध्यम से हमें संगीत में होकर गाने वाली भाषा भी हिंदी एकमात्र सरल, मधुर और प्यारी भाषा है ।

राष्ट्रभाषा कैसे बनी

हिंदी हमारे देश की बहुत ही सरल भाषा है । इसे बोलने में हमें कोई भी कठिनाई नहीं होती और ये भाषा राष्ट्रभाषा के रूप में इसलिए मानी गई क्योंकि हमारे देश में राजस्थांन, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखण्ड, हिमाचल प्रदेश तथा दिल्ली में राज्यों में हिंदी भाषा बोली जाती है । इस प्रकार हमारे देश को अनेकों राज्यों को एकसूत्र में पिरोने तथा एकमात्र किसी में बैर-भाव न हो और प्यार का प्रतीक तथा हमारे हिंदी में बोलने तथा हिंदी में कार्य करने में किसी प्रकार की रुकावट न हो इसलिये इस भाषा को हिंदी पखवाड़ा के उपलक्ष्य भी मनाते हैं । और सरकारी कार्यालयों, मंत्रालों में पुरस्कार के माध्यम से भी लोगों को जागरुक किया जाता है । इस संबंध में हमें फक्र के साथ हमारा सीना चौड़ा हो जाता है कि हम हिंदी भाषा बोलते हैं । और हिंदी में काम करते हैं । इस प्रकार हिंदी भाषा हमारे देश में बोले जाने वाली एकमात्र राष्ट्र भाषा बनी क्योंकि इसमें हमें हमारे देश के अनेकों राज्यों के एकसूत्र में पिरोया गया है । जिससे हमें एक-दूसरे के साथ जुड़े रहे और एक साथ अपने-अपने कार्य का प्रभाव एक-दूसरे से मिल-जुलकर प्रेमभाव से अपने जीवन में इस हिंदी भाषा को आगे बढ़ाने में हम अपना पूरा-पूरा योगदान दें ।

0-0-0-0-0-0

सफल मामले

पी.एस. मेहता

I

प्रार्थी कु0 स्वतंत्र व अन्य छात्रों द्वारा आयोग को सूचित किया कि उन्होंने दिल्ली इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्युटिकल साइन्स व रिसर्च, नई दिल्ली में बी.फार्मा कोर्स में वर्ष 2015-16 में प्रवेश हेतु द्वितीय वर्ष (लेटरल एन्ट्री) में आवेदन किया था परन्तु इंस्टीट्यूट द्वारा 31-7-2015 के बाद अनुसूचित जाति एवं पिछड़ी जाति के छात्रों को सीट खाली रहने के बावजूद प्रवेश नहीं दिया । इस प्रकरण को आयोग द्वारा निदेशक, दिल्ली इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्युटिकल साइन्स व रिसर्च, नई दिल्ली को पत्र भेजा गया तथा निदेशक द्वारा सूचित किया कि वर्ष 2015 के गाइडलान्स के अनुसार इन छात्रों को प्रवेश नहीं दिया जा सकता । आयोग द्वारा इस मामले में निदेशक के साथ सुनवाई निश्चित की तथा आयोग के हस्तक्षेप के पश्चात् इंस्टीट्यूट द्वारा इन छात्रों को बी.फार्मा में प्रवेश दे दिया ।

II

प्रार्थी श्री अखिलेश गौतम, जिला भिण्ड, म0प्र0 द्वारा आयोग को अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत किया था कि म0प्र0शासन द्वारा बी.फार्मा पाठ्यक्रम में श्री रामनाथ सिंह महाविद्यालय, भिण्ड में वर्ष 2010-11 व 2011-12 की छात्रवृत्ति प्रदान नहीं की है ।

इस संबंध में आयोग द्वारा आयुक्त, अनुसूचित जाति विकास, मध्य प्रदेश शासन को पत्र भेजा गया तथा दिनांक 14-12-2015 को आयोग में सुनवाई निश्चित की गई । आयुक्त अनुसूचित जाति विकास, म0प्र0 सरकार द्वारा सूचित किया कि इस मामले में कलेक्टर, भिण्ड द्वारा संबंधित छात्र का श्री अखिलेश को दो वर्षों 2010-11 व 2011-12 की छात्रवृत्ति 79,570/- रुपए चैक द्वारा दिनांक 11-12-2015 को कर दी गई है । इस प्रकार आयोग के हस्तक्षेप के पश्चात् प्रार्थी को दो वर्षों की छात्रवृत्ति प्रदान कर दी गई ।

III

प्रार्थी श्री प्रभिषेक सिंह, कानपुर, उ0प्र0 द्वारा आयोग को एक अभ्यावेदन प्रस्तुत कर सूचित किया कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय, लखनऊ द्वारा वर्ष अगस्त, 2015 में पी.एच.डी. में प्रवेश में उसका साक्षात्कार लिया था जिसमें उनका रैंक एस.सी. कैटेगरी में 1 आया था परन्तु उनको विश्वविद्यालय द्वारा प्रवेश नहीं दिया ।

आयोग द्वारा इस मामले में कुलपति, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय को पत्र भेजा गया तथा बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर द्वारा सूचित किया कि संबंधित छात्र श्री प्रभिषेक को दिनांक 19-11-2015 के द्वारा आई.टी. विभाग में पी.एच.डी.(आई) में प्रवेश दिया जा चुका है ।

इस प्रकार आयोग के हस्तक्षेप के पश्चात् अनुसूचित जाति के छात्र का प्रवेश पी.एच.डी. प्रोग्राम में हो गया ।

सफल मामले

- वाई.के. बंसल

I

प्रार्थी श्री बी. प्रसाद, वरिष्ठ प्रबंधक(इंजी.), कॉनकोर, सी-3, मथुरा रोड, नई दिल्ली से आवेदन प्राप्त हुआ जो कि अनुसूचित जाति समुदाय से संबंधित हैं, उन्होंने श्री अशोक अर्गल, भूतपूर्व संसद सदस्य के माध्यम से दिनांक 20-05-2015 को अपने अभ्यावेदन के द्वारा आयोग के समक्ष आवेदन प्रस्तुत किया जिसमें उन्होंने रेल मंत्रालय के अंतर्गत ग्रुप महाप्रबंधक(इंजीनियरिंग), कॉनकोर के पद पर पदोन्नति न दिए जाने के संबंध में बताया है । आयोग ने इस मामले को कॉनकोर प्रबंधकों के साथ उठाया और उनसे एक रिपोर्ट प्राप्त की । इसके उपरांत, माननीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग ने इस मामले में दिनांक 14-07-2015 को एक सुनवाई संचालित की क्योंकि विभाग का प्रत्युत्तर संतोषजनक नहीं था । आयोग के हस्तक्षेप के कारण कॉनकोर प्रबंधकों ने अपने पत्र दिनांक 16-10-2015 के माध्यम से पदोन्नति के मामले का समाधान किया और यह आयोग को यह सूचित किया कि प्रार्थी श्री भगवती प्रसाद को समूह महाप्रबंधक(इंजीनियरिंग) के पद पर पदोन्नत कर दिया गया है ।

II

प्रार्थी श्री संतोष कुमार चौधरी, एसए/जी पीआईएस-130568, एसआईबी, चंडीगढ़, निवासी मकान नं. 35/1, पुराना मालंचा चांदीपुर, डाकखाना-राखाजंगली, वाड संख्या 20, खड़गपुर, पश्चिम बंगाल ने आवेदन दिया है जो कि अनुसूचित जाति समुदाय के हैं, उन्होंने गृह मंत्रालय के अंतर्गत आईबी में अपनी सेवाओं को पुनर्स्थापित करने के संबंध में आयोग के समक्ष दिनांक 3-12-2012 और 25-08-2015 को अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत किया । प्रार्थी ने अपने आवेदन में बताया कि दिनांक 10-4-2012 को कार्यालय आदेश के माध्यम से आईबी प्रबंधकों ने उसकी सेवाएं बिना किसी विभागीय जांच संचालित किए और बिना किसी वैध कारण के समाप्त कर दी गई । तद्नुसार, आयोग द्वारा मामले को उठाया गया और एक रिपोर्ट मांगी गई । आयोग के हस्तक्षेप के उपरांत इंटेलीजेंस ब्यूरो ने अपने दिनांक 22-01-2016 के माध्यम से प्रार्थी की शिकायतों का निवारण करते हुए यह सूचित किया कि दिनांक 13-01-2016 के माध्यम से प्रार्थी की सेवाएं पुनर्स्थापित कर दी गई हैं ।